न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 13/2021 बउनवानी नारायण कोली बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूंगर पुत्र श्री गोकुल कोली निवासी ग्राम करेल, पोस्ट मलारना डूंगर

GCMS No-2021/24

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
09.04.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार मलारना डूॅगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 29.12.20 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूॅगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. खसरा नम्बर 805 ग्राम करेल पो. मलारना चौड तहसील मलारना डूॅगर में केलाश चन्द मीना पुत्र रामफूल के पुराने मकान से मेन रोड़ के उत्तर की ओर अडगेला तक सिवायचक भूमि कितने बीघा है उसकी सूचना तथा इस सिवायचक भूमि पर क्रमश किन–किन व्यक्तियों का कब्जा है उनका नाम पिता का नाम जाति निवास स्थान सहित पूरे पते की सूचना
2. ख0न0 805 मे ग्राम करेल मे सिवायचक भूमि से सभी अतिक्रमियों के कब्जे कब तक हटा देगें जिसकी प्रमाणिक सूचना तथा कितनी भूमि है उसके नक्शा ट्रेस सहित दस्तावेजो की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूॅगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूॅगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूॅगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सू.का.अ./2021/109 दिनांक 16.3.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रस्तुत अपील के संबंध में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29.12.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि यद्यपि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.12.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है। किन्तु तहसीलदार मलारना डूॅगर को उक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट को वाके ग्राम करेल तहसील मलारना डूॅगर के ख0न0 805 का नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी एवं पी–14 की नकल उपलब्ध करवानी चाहिए थी। अतः तहसीलदार मलारना डूॅगर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 805 के संबंध में उक्तानुसार सूचना अपीलान्ट को [illegible] में उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का [illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:24:09 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर